

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 139]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 अप्रैल 2023—वैशाख 8, शक 1945

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 अप्रैल 2023

क्र. एफ-17-03-2013-एक-4.— मैनोवर्स फील्ड फायरिंग एक्ट एण्ड आर्टिलरी प्रैक्टिस एक्ट, 1938 (क्रमांक 5 सन् 1938) की धारा-9 की उपधारा (1, 2, 3 एवं 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, जिला-जबलपुर, मध्यप्रदेश के खमरिया फील्ड फायरिंग रेंज में नीचे उल्लेखित किये गये क्षेत्र को निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत ऐसे क्षेत्र के रूप में निर्धारित करता है, जिसके भीतर दिनांक 01 अप्रैल 2023 से प्रारंभ होने वाली तथा दिनांक 31 मार्च 2033 को समाप्त होने वाले 10 वर्षों की कालावधि के दौरान जबलपुर तहसील में 1196.13 हेक्टेयर में से 993.60 हेक्टेयर एवं सिहोरा तहसील में 881.73 हेक्टेयर में से 436.44 हेक्टेयर क्षेत्र में मैदानी गोलाबारी तथा तोप अभ्यास का किया जाना प्राधिकृत किया जा सकेगा.

2. फील्ड फायरिंग रेंज के अंतर्गत एवं आस-पास रहने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित रेंज के कमांडिंग आफिसर की होगी. राज्य शासन द्वारा भविष्य में भी यदि कोई शर्तें निर्धारित की जाती हैं, तो उन शर्तों को मानने के लिए सेना विभाग बाध्य होगा.

3. भू-रेखांक का निरीक्षण रोस्टर कलेक्टर, जिला-जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकेगा. क्षेत्र का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

जिला	तहसील	रा.नि. मंडल	ग्राम	प.ह.नं.	नं. बं.
1	2	3	4	5	6
जबलपुर	जबलपुर	महाराजपुर	1. बंधी	15	124
		पनागर	2. भौरहा	13	152
		पनागर	3. तिलगवॉ	13	213
		महाराजपुर	4. पडरी	12	266

1	2	3	4	5	6
		पनागर	5. रिठौरी	15	400
		पनागर	6. ककरहाई	12	82
		पनागर	7. केर	13	461
		पनागर	8. सकरी	12	417
		पनागर	9. गांजर	13	624
		पनागर	10. कंजनिया (डिजर्टेड)	13	86
		पनागर	11. पथरोरा (डिजर्टेड)	13	255
जबलपुर	सिहोरा	मझगवां	1. पिपरसरा	83	432
		खितौला	2. पौडीखुर्द	82	164
		खितौला	3. मढोद	82	690
		मझगवां	4. मढई	83	691

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

दिलीप कुमार कापसे, उपसचिव.